

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(1) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर दिनांक 23/01/19

:: आदेश ::

श्री संदीप शाह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र दिनांक 23.01.19 के क्रम में निम्नांकित अभिभाषकगण को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में दिनांक 08.01.19 से कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

1. सुश्री अक्षिति सिंघवी (पंजीयन क्रमांक आर/2771/2015)
2. श्री अभिमन्यु सिंह राठौड़ (पंजीयन क्रमांक आर/1180/2014)

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री संदीप शाह अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंसा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंसानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
2. श्री संदीप शाह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्तागण।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(1) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर दिनांक 8/2/2019

:: आदेश ::

श्री महेन्द्र सिंघवी, मा0 महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक एजी/244 दिनांक 23.01.19 के क्रम में उनके जोधपुर स्थिति कार्यालय महाधिवक्ता, जोधपुर (राज0) में श्री कार्तिक सिंह लोढा अभिभाषक को मा0 महाधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को मा0 महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (मा0 महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/जोधपुर
2. संबंधित अधिवक्ता।
3. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
4. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(1) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर दिनांक 3/2/2019

:: आदेश ::

श्री पंकज शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र दिनांक 14.01.19 के क्रम में श्री ऋषि सोनी अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/2439/2015) को दिनांक 08.01.19 से अतिरिक्त महाधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री पंकज शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
2. श्री पंकज शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 15/2/19

:: आदेश ::

श्री सुनिल बेनिवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक 12 दिनांक 16.01.19 के क्रम में श्री उत्कर्ष सिंह गुर्जर, अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/3215/2017) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री सुनिल बेनिवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह०  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. श्री सुनिल बेनिवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 15/2/19

:: आदेश ::

श्री मनीष व्यास, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र एएजी/एमवी/2019/03 दिनांक 25.01.19 के क्रम में श्री कैलाश चौधरी, अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/594/2011) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री मनीष व्यास, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. श्री मनीष व्यास, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 15/2/19

:: आदेश ::

सुश्री रेखा बोराना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र दिनांक 27.01.19 के क्रम में श्री सारांश विज, अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/1134/2016) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-

1. जूनियर अधिवक्ता को सुश्री रेखा बोराना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. सुश्री रेखा बोराना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 15/2/19

:: आदेश ::

श्री अनिल कुमार गौड, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र दिनांक 18.01.19 के क्रम में निम्नांकित अभिभाषकगण को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

1. श्री सलमान आगा
2. श्री अनुपम गोपाल व्यास

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री अनिल कुमार गौड, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटैनेरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
2. श्री अनिल कुमार गौड, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्तागण।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 15/1/19

:: आदेश ::

श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र 26-27 दिनांक 15.01.19 के क्रम में निम्नांकित अभिभाषकगण को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

1. श्री नरेन्द्र चौधरी (पंजीयन क्रमांक आर/1087/2016)
2. श्री रजत अरोड़ा

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह०  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
2. श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्तागण।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08 पार्ट

जयपुर दिनांक 15/2/19

:: आदेश ::

श्री फरजंद अली, राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 23.01.19 के क्रम में श्री अभिषेक पुरोहित, अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/1954/2014) को राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री फरजंद अली, राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह०  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. श्री फरजंद अली, राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

  
15/2  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि